



॥ आ३म् ॥

# गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार –249404

(यू०जी०सी० एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

GURUKULA KANGRI (DEEMED TO BE UNIVERSITY), HARIDWAR - 249404

(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

पत्रांक Estt-II/DR/2056

दिनांक : 03/07/2023


## कार्यालय आदेश

कार्यालय पत्रांक संख्या Estt.-II/DR/2041 दिनांक 14.06.2023 के द्वारा जारी कार्यालय आदेश (Annual Self-Appraisal (ASA) Proforma के साथ "Proforma for submitting the information on classes taught by the teachers") की जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 05.07.2023 के स्थान पर आदेशानुसार दिनांक 20.07.2023 तक बढ़ायी जाती है। अतः समस्त स्थायी शिक्षक/शिक्षिकायें दिनांक 20.07.2023 तक उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संयुक्त कुलसचिव

## प्रतिलिपि :-

1. मा० कुलपति जी
2. निदेशक, आई०क्यू०ए०सी०
3. कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार/देहरादून
4. समस्त संकायाध्यक्ष
5. समस्त विभागाध्यक्ष
6. समस्त प्रभारी विभागाध्यक्ष
7. समविश्वविद्यालय वेबसाइट
8. कुलसचिव कार्यालय



संयुक्त कुलसचिव